# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

गंगाविशन बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)    मु0नं0– 30 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.06.2024 | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.5700 है0 खसरा नम्बर 79 रकबा 0.2800 है0 खसरा 80 रकबा 0.3400 है0 खसरा 81 रकबा 0.4100 है0 खसरा 85 रकबा 0.9300 है0 वाके ग्राम चक कालाखो तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि का तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है एवं पत्रावली में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका है। इसलिए उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम चक कालाखो तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.5700 है0 खसरा नम्बर 79 रकबा 0.2800 है0 खसरा नम्बर 80 रकबा 0.3400 है0 खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4100 है0 खसरा नम्बर 85 रकबा 0.9300 है0 पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।<br><br>तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।<br><br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। | |